एन एस आई सी वेंचर कैपिटल फण्ड लिमिटेड

NSIC VENTURE CAPITAL FUND LTD.

(एन एस आई सी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी)

(A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NSIC LTD.)

की एक स्कीम

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

1. एसआरआई फंड क्या है?

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन (vision) के अनुसार, माननीय वित्त मंत्री ने, 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अधीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए फंड ऑफ फंड्स (Fund of Funds) (एफओएफ) के गठन की घोषणा की थी, ताकि विकास पूंजी को प्राप्त करने में एमएसएमई को हो रही भारी कठिनाई का समाधान किया जा सके।

इसके परिणाम स्वरूप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन, भारत सरकार का मिनी-रत्न उपक्रम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) ने अपनी एक 100 प्रतिशत सहायक कंपनी, एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) की स्थापना की है।

***सेल्फ रिलाइंट इंडिया (एसआरआई) फंड',** एनवीसीएफएल की पहली स्कीम के रूप में शुरू किया गया है। एसआरआई फंड 'फंड ऑफ फंड्स' निवेश कार्यनीति अपनाएगा जिसके अंतर्गत, सेबी में पंजीकृत श्रेणी । और श्रेणी ।। वैकल्पिक निवेश फंड (''डॉटर फंड'') में निवेश किया जाएगा, जो बाद में एमएसएमई में निवेश करेंगे। डॉटर फंड, एसआरआई फंड से प्राप्त पूंजीगत अंशदान की रकम (शुल्क और व्यय

की निवल रकम) की कम से कम पांच गुना रकम, एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले एमएसएमई में निवेश करेगा।

2. एसआरआई फंड का मुख्य निवेशक (Anchor Investor) कौन है?

इस फंड का मुख्य निवेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार है।

3. एसआरआई फंड के प्रायोजक कौन-कौन हैं और समग्र फंड का कार्पस कितना है?

एसआरआई फंड को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा प्रायोजित किया गया है। (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक मिनी रत्न/उपक्रम है) इस फंड को, एनएसआईसी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा। इसका समग्र फंड (कार्पस) 10,006 करोड़ रुपये हैं।

4. एसआरआई फंड का निवेश प्रबंधक और विधि सलाहकार कौन है?

एसआरआई फंड का निवेश प्रबंधक, एसबीआई कैप वैन्चर्स लिमिटेड (SBICAP Ventures Limited) और विधि सलाहकार खेतान एण्ड कंपनी (Khaitan & Company) है।

5. एसआरआई फंड का कार्यकाल/अवधि क्या है?

फंड का कार्यकाल 15 वर्ष है, जिसे एआईएफ के दिशा निर्देशों के अनुसार एनवीसीएफएल और अंशदाताओं के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है।

6. एसआरआई फंड की निवेश/ प्रतिबद्धता अवधि क्या है?

एसआरआई निधि की निवेश अवधि 13 वर्ष है।

7. एसआरआई फंड का निवेश उद्देश्य क्या है?

फंड ऑफ फंड्स (Fund of Funds) के रूप में एसआरआई फंड, डॉटर फंड (Daughter Funds) की वित्तीय सहायता करने के लिए उन्मुख है, ताकि सेबी के दिशानिर्देशो के अधीन, अनुमत इक्विटी, अर्ध-इक्विटी और ऋण के रूप में, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए, विकास पूंजी के रूप में, एमएसएमई के लिए आगे प्रदान की जा सकेः

- एमएसएमई की वित्त-व्यवस्था जैसे इक्विटी/अर्ध इक्विटी को बढ़ाया जा सके।
- एमएसएमई के कारोबार में तेजी से विकास करने में सहायता देना, अर्थव्यवस्था में सुधार करना और रोजगार के अवसर पैदा करना।
- ऐसे उद्यमों की सहायता करना, जिनके एमएसएमई की सीमा से धीरे-धीरे आगे बढ़ने की संभावना है और जिनके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उद्यम बनने की संभावना हो।
- ऐसे एमएसएमई की सहायता करना, जो संगत प्रौद्योगिकियों, माल और सेवा प्रदान करके "भारत को आत्मनिर्भर" बनाने में सहायता प्रदान कर सकें।

8. क्या एसआरआई फंड, एमएसएमई में सीधे निवेश कर सकता है?

नहीं। एसआरआई फंड केवल डॉटर फंड (Daughter Funds) में निधि/पूंजी उपलब्ध कर सकता है, ताकि वह आगे एमएसएमई में निवेश कर सके और एमएसएमई में निवेश केवल डॉटर फंड (Daughter Funds) द्वारा किया जाएगा।

9. डॉटर फंड की परिभाषा क्या है?

डॉटर फंड सेबी के अंतर्गत, वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) के अधीन श्रेणी । या श्रेणी ॥ के रूप में पंजीकृत होंगे, जो एमएसएमई इकाइयों में निवेश करेंगे।

10. **क्या ऐसे एआईएफ, इस फंड के द्वारा निवेश के लिए योग्य होंगे, जिन्होंने (भारत सरकार (केंद्रीय सरकार) के फंड ऑफ फंड के किसी फंड) जैसे स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड (Fund of Funds) के फंड, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ईडीएफ फंड, एएसपीआईआरई आदि से प्रतिबद्धता का लाभ उठाया है?**

हाँ, बशर्ते कि नीचे दिए गए बिंदु संख्या 11 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

11. **एसआरआई फंड से प्रदान की जाने वाली अनुमत प्रतिबद्धता कितनी होगी?**

एसआरआई फंड से जारी की जाने वाली न्यूनतम प्रतिबद्धता 25 करोड़ रूपये होगी और उसके बाद 5 करोड़ रुपये के गुणांक में होगी। एसआरआई फंड से अधिकतम प्रतिबद्धता ।) नियोजित कार्पस का 20 प्रतिशत या ॥) 2,000 करोड़ रुपये, दोनों में से जो भी कम होगी, जैसा नीचे बताया गया हैः

क. यदि विस्तृत आवेदन-पत्र को प्रस्तुत करने की तारीख पर पहला क्लोज (first close) लंबित है, तो वह निम्नलिखित में से सबसे कम होगा*

।. नियोजित कार्पस का 20 प्रतिशत (जिसमें ग्रीन शू विकल्प, यदि कोई हो, भी शामिल है)

या

॥. नियोजित कार्पस का 20 प्रतिशत, जिसमें भारत सरकार की फंड ऑफ फंड (Fund of Funds) स्कीम की प्रतिबद्धता शामिल नहीं है (जिसमें विनिर्दिश्ट विशिष्ट अंतिम उपयोग और ऐसी प्रतिबद्धता पर शुल्क भी शामिल है)।

या

III. 2,000 करोड़ रुपये।

ख. यदि विस्तृत आवेदन-पत्र को प्रस्तुत करने की तारीख पर पहला क्लोज **(first close)** या कोई उत्तरवर्ती क्लोज **(Subsequent close)** पूर्ण हो गया है, तो वह निम्नलिखित में से सबसे कम होगा*

I. अंतिम क्लोज **(final close)** की प्राप्ति होने तक, भावी डॉटर फंड (Daughter Funds) द्वारा जुटाए जाने वाले वृद्धि उन्मुखी कार्पस (incremental corpus) फंड का 20 प्रतिशत (जिसमें ग्रीन शू विकल्प, यदि कोई हो, भी शामिल है।

या

II. नियोजित कार्पस फंड का 20 प्रतिशत, जिसमें भारत सरकार की फंड ऑफ फंड **(Fund of Funds)** की स्कीम की प्रतिबद्धता शामिल नहीं है (जिसमें विनिर्दिष्ट विशिष्ट अंतिम उपयोग और ऐसी प्रतिबद्धता पर शुल्क भी शामिल है)।

या

III. 2,000 करोड़ रुपये।

*परंतु भावी डॉटर फंड के संबंध में, जिन्होंने भारत सरकार (केंद्र सरकार) के फंड ऑफ फंड **(Fund of Funds)** से प्रतिबद्धता प्राप्त की है या भारत सरकार (केंद्र सरकार) के अन्य फंड ऑफ फंड से किसी वित्तपोषण (फंडिंग) की सुविधा का लाभ उठाया हो, तो उस राशि को बाह्य निवेशकों द्वारा जुटाई जाने वाली 80 प्रतिशत राशि में शामिल नहीं किया जाएगा। परंतु यदि भावी डॉटर फंड ने भारत सरकार (केन्द्र सरकार) के किसी फंड ऑफ फंड से ऐसी प्रतिबद्धता प्राप्त की हो, जो एसआरआई फंड के अपेक्षाओं के अनुपालन में एमएसएमई के रूप में अर्हक निवेश

है, तो उसे भारत सरकार (केंद्र सरकार) के फंड ऑफ फंड स्कीम की किसी अन्य अंतिम उपयोग अपेक्षा में नहीं गिना जाएगा।

12. **एसआरआई फंड प्रतिबद्धता की विधिमान्य अवधि क्या है?**

एसआरआई फंड द्वारा दी गई प्रतिबद्धता 18 माह के लिए विधिमान्य होगी, जिसके दौरान पात्र फंड को पहला क्लोज (first close) करना होगा। ऐसा न करने पर मदर फंड द्वारा की गई प्रतिबद्धता को पुनः मूल्यांकित किया जाएगा। (इस बिंदु के प्रयोजन के लिए पहले क्लोज (first close) से तात्पर्य एसआरआई फंड द्वारा की गई प्रतिबद्धता के बाद किए गए पहले क्लोज (first close) से है)।

13. **क्या कोई ऐसी न्यूनतम पूंजी निर्धारित की गई है, जिसे डॉटर** फंड **द्वारा जुटाया जाना है?**

सूचीबद्ध डॉटर फंड, 80 प्रतिशत अतिरिक्त फंड बाह्य स्रोतों जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाओं, एचएनआई, वीसी/पीई/संस्थागत निवेशक, पीएसयू पेंशन फंड, विदेश विकासशील संस्थाएं आदि से जुटाएगा।

डॉटर फंड को सूचीबद्ध किए जाने के बाद, डॉटर फंड निधियां जुटाएगा जिससे डॉटर फंड प्रत्येक 4 इकाइयों के लिए वह, अनुपातिक रूप से एसआरआई फंड की 1 इकाई के लिए के पात्र बन सकेगा, जो बैक-एंडेड (back-ended) आधार पर जारी किया जाएगा।

क्योंकि एसआरआई फंड द्वारा उपलब्ध कराया जानें वाला न्यूनतम फंड 25 करोड़ रुपये है, इसलिए डॉटर फंड का न्यूनतम फंड कार्पस 125 करोड़ रुपये होना चाहिए, जिसमें से 100 करोड़ रुपये उन्हें बाह्य स्रोतों से जुटाना होगा।

14. **डॉटर फंड के माध्यम से एमएसएमई में अपेक्षित न्यूनतम निवेश क्या होगा?**

डॉटर फंड, एमएसएमईडी अधिनियम (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार परिभाषित एमएसएमई में एसआरआई फंड से प्राप्त पूंजी अंशदान की रकम का कम से कम 5 गुना (शुल्क और व्यय का निवल) निवेश किया जाएगा।

डॉटर फंड द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके सभी निवेशिती एमएसएमई ने उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है। यदि एमएसएमई द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है, तो ऐसी निवेशिती कंपनी में किए गए निवेश के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वे एमएसएमई में निवेश करने के मापदंड को पूरा करते हैं।

15. डॉटर फंड **का अनुमत कार्यकाल/अवधि क्या होगी?**

डॉटर फंड का अधिकतम कार्यकाल (जिसमें विस्तार की अवधि, यदि कोई हो) एसआरआई फंड, के शेष कार्यकाल के अनुरूप होगा, जैसा एआईएफ विनियमों के अधीन समय-समय पर अधिमान्य है।

16. डॉटर फंड **की मान्य निवेश अवधि क्या होगी?**

डॉटर फंड की निवेश अवधि संबंधित डॉटर फंड के अंतिम क्लोज (फाइनल क्लोज) होने की तारीख से अधिकतम 6 वर्ष होगी।

17. **डॉटर** फंड **के लिए टारगेट रिटर्न क्या होगा?**

डॉटर फंड के लिए टारगेट रिटर्न i) सकल आईआरआर के 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष या ii) डॉटर फंड में अन्य अंशदाताओं को प्रस्तावित भारतीय रुपये में उच्चतम दर, जो

भी अधिक होगी। आईआरआर की गणना, माइक्रोसाफ्ट एक्सेल साफ्टवेयर में दिए गए (XIRR) फंक्शन का प्रयोग करके की जाएगी।

18. **डॉटर** फंड **के लिए हर्डल रेट क्या होगा?**

डॉटर फंड के लिए अधिमत हर्डल रेट i) 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष या ii) डॉटर फंड में किसी अन्य अंशदाताओं को प्रस्तावित भारतीय रुपये में उच्चतम दर, जो भी अधिक होगा। हर्डल दर की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाएगी।

19. **डॉटर** फंड **का प्रबंधन शुल्क क्या होगा?**

डॉटर फंड का प्रबंधन शुल्क i) 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष या i) डॉटर फंड में किसी अन्य अंशदाताओं द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दर, दोनों में से जो भी कम होगा।

20. **एसआरआई फंड का लक्ष्य समूह कौन है?**

डॉटर फंड के माध्यम से एसआरआई फंड का लक्ष्य समूह ऐसे एमएसएमई होंगे, जिनमें विकास की संभावना दिखे, लेकिन जो इसलिए विकास नहीं कर पा रहे हों क्योंकि उनकी विकास पूंजी की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। एसआरआई फंड से प्राप्त फंड को पूरे राष्ट्र में प्रभाव सृजित करने के लिए वितरित किया जाएगा और देश के सुदूर क्षेत्रों के प्रतिष्ठान भी इस फंडिंग तक पहुंच बना सकते हैं।

इस फंडिंग (डॉटर फंड के माध्यम से) का लक्ष्य वे सभी विद्यमान और रुचि रखने वाले एमएसएमई होंगे, जिन्हें मूल्यांकन के बाद व्यवहार्य पाया जाए, जिनके विकास का लक्ष्य सकारात्मक हो, और जिनके पास सकारात्मक फंड प्रवाह को दर्शाने वाली स्पष्ट कारोबार विकास योजना हो। पिछले तीन वर्ष के सीएजीआर पर विचार किया

जाएगा और विकास की संभावना वाले अलग-अलग एमएसएमई को उचित महत्व दिया जाएगा।

रोजगार, क्षेत्रीय विषमता को कम करने, समग्र आर्थिक विकास, गहनता और लोच वाली आपूर्ति श्रंखला स्थापित करने की दृष्टि से गैर मौद्रिक पहलुओं को भी फंड ध्यान में रखेगा (फैक्टर करेगा)।

गैर-लाभकारी संस्थाएं, एनबीएफसी, वित्तीय समावेशी क्षेत्र, माइक्रो क्रेडिट क्षेत्र, एसएचजी और वित्तीय बिचौलिए, विचार किए जाने के पात्र नहीं होगे।

21. एमएसएमई की परिभाषा क्या होगी, जिसका प्रयोग किया जाएगा?

समय-समय पर यथा संशोधित एमएसएमडी अधिनियम के अनुसार परिभाषित एमएसएमई विचार किए जाने के पात्र होंगे, बशर्ते कि उनके पास उद्‌यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र हो।

22. क्या कोई तरजीही क्षेत्र एवं भौगोलिक निवेश को विशेष महत्व दिया गया है?

फंड का निवेश विविध क्षेत्रों (यथा पारंपरिक एमएसएमई, कृषि, फार्मा, आटो, रसायन आदि) में किया जाएगा, ताकि विनिर्माण, सेवाओं और कृषि कारोबार का बेहतर ताल-मेल सुनिश्चित किया जा सके, जिससे अलग-अलग खंडों/उद्‌योगों में कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस स्कीम का उद्देश्य पूरे देश में आय को बढ़ाना और रोजगार पैदा करना है।

23. **क्या कोई सेक्टर/क्षेत्र ऐसा है, जिसे इसमें निवेश करने की अनुमति नहीं है?**

किसी डॉटर फंड में एसआरआई फंड द्‌वारा किए गए पूंजी अंशदान का उपयोग, जुआ खेलने, अश्लील विषय-वस्तु तैयार करने, कोई गैर कानूनी या गैर-विधि क्रियाकलाप और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी), गैर लाभकारी संगठन,

माइक्रो क्रेडिट क्षेत्र, वित्तीय समावेशी क्षेत्र, स्व-सहायता समूह और अन्य वित्तीय मध्यस्थों को वित्त-व्यवस्था करने के लिए नहीं किया जाएगा।

24. अन्य ऐसी कौन सी नियम एवं शर्तें हैं, जिनका पलान डॉटर फंड **को करना होगा?**

डॉटर फंड द्वारा पूरी की जाने वाली अन्य नियम एवं शर्तों में निम्नलिखित शर्तें भी शामिल होंगीः

- डॉटर फंड यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी निवेशिती एमएसएमई, उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हैं।
- डॉटर फंड, फंड के दस्तावेजों (जिन्हें एसआरआई फंड के साथ निष्पादित किया जाएगा) के प्रावधानों और लागू विनियमों तथा डॉटर फंड की कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, जिनमें अन्य बातों के साथ एआईएफ विनियम के दिशानिर्देश और प्रावधान आतंकवाद रोधी, मनी लाउंडरिंग-रोधी कानून और सभी सरकारी प्राधिकरणों या एजेंसियों की सभी अपेक्षाओं संबंधी दिशानिर्देश तथा सभी विनियमों के प्रावधान, लागू कानून और लागू विनियम भी शामिल हैं और एसआरआई फंड को इस संबंध में, जैसा समय-समय पर एनवीसीएफएल द्वारा निर्धारित किया जाएगा, विस्तारपूर्वक उपलब्ध कराएगा।
- डॉटर फंड का अपनी पोर्टफोलियो वाली कंपनियों के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक एवं सुशासन मानक (‘‘ईएसजी’’) नीति/ढांचा होना चाहिए या उसका विकास करेगा।
- डॉटर फंड निवेशिती एमएसएमई के विकास संबंधी वार्षिक प्रभाव का मूल्यांकन करेगा और वित्त वर्ष की समाप्ति से 60 दिन के अंदर वार्षिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट को परिचालित करेगा।

- डॉटर फंड के सभी निदेशक, प्रायोजक और निवेश टीम के वरिष्ठ सदस्य भारतीय विधि के अधीन निदेशक या प्रबंधक बनने के कानूनी रूप से पात्र हैं (अर्थात कोई रोक नहीं है) और वे सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट मापदंड के आधार पर उपयुक्त और उचित व्यक्ति होंगे।
- डॉटर फंड के निवेश प्रबंधक और/या प्रयोजक के पास आवश्यक बुनियादी सुविधाएं और जनशक्ति होनी चाहिए, ताकि वह सेबी द्वारा निर्धारित क्रियाकलापों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके।
- एसआरआई फंड के लिए आवेदन-पत्र में किए गए उल्लेख के अतिरिक्त डॉटर फंड /प्रायोजक/निवेश प्रबंधक/न्यासी/प्रोमोटरों/निदेशकों/भागीदारों के प्रति कोई कानूनी देयता बकाया नहीं होना चाहिए और उनके विरुद्ध कोई सरकारी जांच/कार्यवाही/मुकद्दमा/कानूनी कार्रवाई लंबित/ शुरू नहीं होनी चाहिए।
- डॉटर फंड, पात्र व्यक्ति/निवेशक से ऐसे फंड से प्रतिबद्धता प्राप्त कर सकता है / अंशदान प्राप्त कर सकता है जहां पात्र व्यक्ति / निवेशक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होगाः

i. जो सेबी द्वारा निर्धारित अपने ग्राहक का परिचय (केवाईसी) का अनुपालन करेगा।

ii. इसे साबित करने के लिए उपयुक्त कागजात तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पात्र व्यक्ति/निवेशक (i) अच्छी साख का और प्रतिष्ठत व्यक्ति हैं तथा (ii) किसी भी मान्य कानून के अंतर्गत किसी मुख्य अपराध के लिए अपराधी नहीं ठहराया गया है।

- यदि यह फंड, निर्धारित समय-सीमा के अंदर एसआरआई द्वारा निर्धारित अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करता है, तो उसके संबंध में एसआरआई फंड से ड्राडाउन की कार्रवाई आरंभ नहीं की जाएगी।

- यदि हितों का कोई टकराव हो, तो उसे आवेदन-पत्र देते समय और/या जब कभी उत्पन्न हो, सबसे पहले निवेश प्रबंधक को बताया जाएगा।
- एसआरआई फंड, एनवीसीएफएल बोर्ड या भारत सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य शर्तें।
- भावी डॉटर फंड के फंड की मांग करने के लिए पात्र होने के लिए, प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र फार्म, जमा करना होगा तथा उन्हें एसआरआई फंड के मूल्यांकन के मापदंड के अनुसार होना चाहिए।

25. क्या एसआरआई फंड से फंड की मांग करने के लिए डॉटर फंड **को किसी प्लेसमेंट एजेंट को नियुक्त करने की आवश्यकता है?**

नहीं। भावी डॉटर फंड द्वारा एसआरआई फंड को सीधे आवेदन-पत्र देना होता है। एसआरआई फंड से फंड लेने के लिए कोई प्लेसमेंट शुल्क देय नहीं होगा। इसके अलावा एसआरआई फंड द्वारा कोई प्लेसमेंट एजेंट नियुक्त नहीं किया गया है।

26. **डॉटर** फंड **को क्या परिश्रम (diligences) करना होगा?**

विधि सलाहकार द्वारा उचित विधिक परिश्रम (Legal due diligence) किया जाएगा। अन्य पक्षकार एजेंसी की नियुक्ति करके, निवेष प्रबंधक द्वारा वित्त, कर और निष्ठा संबंधी पहलुओं और निवेश समिति द्वारा संस्तुत/प्रस्तावित कोई अन्य मूल्यांकन के संबंध में उचित परिश्रम (diligence) किया जाएगा। ऐसे परिश्रम (due diligence) संबंधी किसी लागत का भुगतान, डॉटर फंड द्वारा सीधे किया जाएगा।

27. निवेश प्रक्रिया में कौन से चरण शामिल हैं?

मोटे तौर पर निवेश प्रक्रिया को दर्शाने वाला फ्लो चार्ट* नीचे दिया गया है-

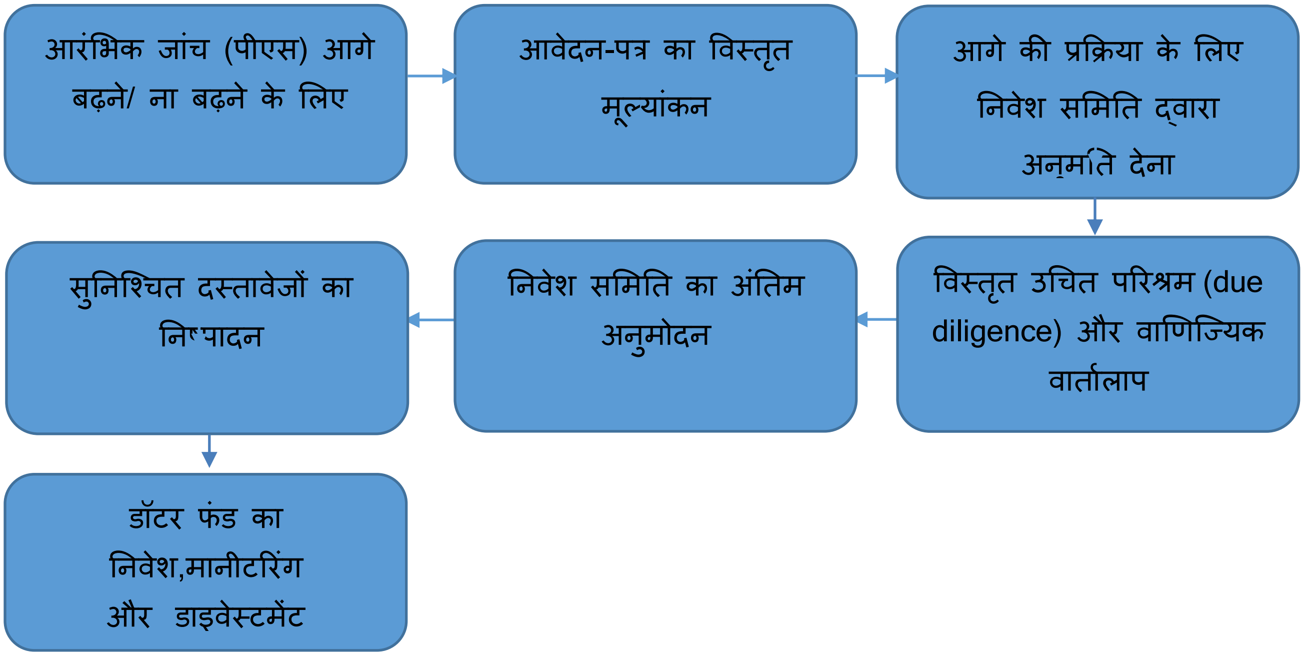

*एसआरआई फंड के लिए आवेदन-पत्र संबंधी सूचना प्रस्तुत करने से, एसआरई फंड से प्रतिबद्धता की गारंटी नहीं मिल जाती है।

28. एसआरआई फंड के निवेश के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म क्या है?

फंड / निवेश प्रबंधक द्वारा एसआरआई फंड के निवेश संबंधी सभी क्रियाकलापों के ऑनलाइन प्रबंधन के लिए, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है।

29. कोई संभावित डॉटर फंड, एसआरआई फंड से प्रतिबद्धता प्राप्त करने के लिए कैसे आवेदन-पत्र दे सकता है?

संभावित डॉटर फंड, फंड जुटाने / एसआरई फंड से निवेश प्राप्त करने के लिए अपनी रुचि, लिखित रूप में व्यक्त कर सकते है। ऐसा वह निवेश प्रबंधक अर्थात् एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड (SBICAP Ventures Limited) को

srifund@sbicapventures.com अथवा srifund@nvcfl.co.in पर ई-मेल भेजकर लिखित पत्राचार करके कर सकते हैं।

प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चालू/तैयार होने पर, उपरोक्त ई-मेल पर प्राप्त आवेदनों पत्रों को प्रौद्योगिक प्लेटफार्म पर अपडेट किया जाएगा और भावी डॉटर फंड से भविष्य में प्राप्त होने वाले सभी आवेदन-पत्र, इस प्लेटफॉर्म पर एकाउंट क्रिएट करके स्वीकार किए जाएंगे।

डॉटर फंड को एक अवसर दिया जाएगा कि वह निवेश समिति के समक्ष अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करे। प्रस्तुतीकरण का फार्मेट, भावी डॉटर फंड को उपलब्ध कराया जाएगा।

30. एसआरआई फंड द्वारा भावी डॉटर फंड **को अस्वीकार किए जाने पर क्या उसे एसआरआई फंड से प्रतिबद्धता की मांग करने के लिए पुनः आवेदन-पत्र देने की अनुमति है?**

एसआरआई फंड से प्रतिबद्धता की मांग करने के लिए ऐसे फंड द्वारा बाद मे आवेदन-पत्र, पिछले आवेदन-पत्र को अस्वीकार किए जाने की सूचना प्राप्त होने के 6 माह की अवधि के बाद ही भेजा जा सकता है।

31. **डॉटर** फंड **के लिए रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं क्या हैं?**

रिपोर्टिंग की अपेक्षाएं अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अपेक्षाएं होंगी:

- डॉटर फंड की वार्षिक और तिमाही रिपोर्टें।
- प्रत्येक निवेश की तिमाही सूचना, डॉटर फंड के प्रत्येक अंशदाता का विवरण और प्रभाव मूल्यांकन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट।
- मूल्यांकन रिपोर्ट, कर विवरणी और अनुपालन के विवरण।

- भ्रष्टाचार-रोधी/ मनी लाउंडरिंग-रोधी, पर्यावरण संबंधी विनियमों सामाजिक एवं कारोबार संबंधी निष्ठा को भंग करने की किसी बड़ी घटना की रिपोर्ट।
- सेबी, कंपनी अधिनियम और अन्य संगत विनियमों के अनुपालन की आवधिक रिपोर्ट।

******

टिप्पणीः उपर्युक्त एफएक्यू केवल संकेतात्मक हैं और वे एसआरआई फंड, उसके निवेश प्रबंधक और/ या उसके विधि सलाहकार पर आबद्धकर नहीं हैं। कृपया पूरे विवरणों के लिए प्रचालन संबंधी दिशानिर्देश (Operating Guidelines) देखें।